**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3861**

**02 अप्रैल, 2018 को उत्तर के लिए**

**पी-75 आई पनडुब्बियों की अधिप्राप्ति**

**3861. श्री के.टी.एस. तुलसीः**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

1. क्या सरकार ने पी-75 आई पनडुब्बियों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी है;
2. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी अधिप्राप्ति की प्रक्रिया कब तक हो जाएगी;
3. उक्त कार्य के लिए मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) के रुप में योग्यता रखने वाली सूचीबद्ध भारतीय तथा विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और
4. क्या सरकार द्वारा इस अधिप्राप्ति के लिए किसी स्वदेशी कंपनी को रणनीतिक भागीदार के रूप में रखे जाने पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें सूचीबद्ध नहीं किया गया तथा इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ.सुभाष भामरे)**

1. और (ख) जी हां। रणनीतिक भागीदारी मॉडल के अंतर्गत रक्षा प्रापण प्रक्रिया (डीपीपी) 2016 के अध्याय VII के अनुसार पनडुब्बियों का प्रापण किया जाना प्रस्तावित है ।

(ग)और (घ) मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) का चयन डीपीपी के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

\*\*\*